

मध्यप्रदेश शासन
गृह विभाग
मंत्रालय
वल्लभ-भवन, भोपाल.

क्रमांक 3618/3278/2018/दो/सी-एक्स भोपाल, दिनांक 1/8/2018
प्रति,


समस्त संभागायुक्त,
मध्यप्रदेश।

समस्त कलेक्टर्स,
मध्यप्रदेश।

विषय:- "मॉब लिचिंग" की घटनाओं अथवा भीड़ द्वारा अन्य कारणों से दुष्प्रेरित होकर की जाने वाली हिंसात्मक घटनाओं पर त्वरित कार्यवाही करने बावत्।

उपरोक्त विषय में भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी दिशा-निर्देश दिनांक 23.07.2018 एवं पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी दिनांक 25.07.2018 को इसी विषय से संबंधित निर्देश की छायाप्रति संलग्न है। निर्देशानुसार अनुरोध है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के समग्र रूप से क्रियान्वयन हेतु अपने जिले के पुलिस अधिकारियों के साथ इस विषय से संबंधित बैठक आयोजित करें एवं पुलिस विभाग को क्रियान्वयन हेतु जो जो अन्य विभागों से सहयोग/समन्वय अपेक्षित हो, यह भी सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।


(बी०एस०जामौद)

उप सचिव

म०प्र० शासन गृह विभाग

o/c